न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 208/2021 तारीख रजू 01.07.2021

रामश्री पुत्र रामकेश जाति मीना निवासी इसरडा।

——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहरावण्डा कला। ———— रेस्पो0

निर्णय दिनांक 26.11.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 39/2021 मे पारित आदेश दिनांक 11.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कुरेडी के आराजी खसरा नम्बर 209 रकबा 1.00 बीघा किस्म गै.मु. बेहड पर संवत 2077 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर सरसों की फसल काश्त करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली प्राप्त हुई । बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि आराजी खसरा नम्बर 209 रकबा 1.00 बीघा पर प्रार्थी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। प्रार्थी का कोई अतिक्रमण उक्त आराजी पर नहीं है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर नहीं दिया गया है यदि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो प्रार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करता। यह भी निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय पारित कर अहम भूल की गयी है जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त [illegible] निवेदन किया है कि पाश्चतवर्ती के सम्बन्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में [illegible] अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं होने से अपीलान्ट [illegible] पश्चातवर्ती [illegible] नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीका[illegible] पारित आ[illegible]ांक 11.02.2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:44:39 IST
Reason: SelfAttested

वकील पेराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्ट के परिवार को तामील हुई है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्ट को स्वंय को नोटिस की तामील करवाई गयी। बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस,फर्द नीलामी व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2021 में बेदखली शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर सजा माफ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:44:39 IST
Reason: SelfAttested